SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
Impact Factor – SJIF 2025 = 5.071
July – September 2025
E-ISSN 3048-7323
Vol-2
Issue-3

वर्तमान समय में विधिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका

बीरेंद्र पाल
डेमोंस्ट्रेटर (समाजशास्त्र)
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सारांश

वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। विधिक प्रक्रिया, जो अब तक पारंपरिक ढाँचों पर आधारित रही है, फिर भी एआई से अछूती नहीं है। न्यायिक प्रणाली का उद्देश्य न्याय को शीघ्र, सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। लेकिन मुकदमों की अधिकता, लंबित मामलों का बोझ, संसाधनों की कमी और तकनीकी चुनौतियाँ न्यायपालिका को लंबे समय से प्रभावित करती रही हैं। ऐसे में कृत्रिम बुद्धिमत्ता न्यायिक व्यवस्था में एक नई क्रांति लाने का सामर्थ्य रखती है। यह न केवल मुकदमों के त्वरित निपटान, कानूनी दस्तावेजों के विश्लेषण और अपराध की जाँच में सहायक है, बल्कि न्याय तक समान पहुँच सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस शोध पत्र में विधिक प्रक्रिया में एआई के प्रयोग, उसकी उपयोगिता, संभावनाओं, चुनौतियों और भारतीय परिप्रेक्ष्य का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यदि एआई का प्रयोग मानवीय मूल्यों और विधिक सिद्धांतों के अनुरूप किया जाए तो यह भविष्य की न्यायिक प्रणाली का मजबूत स्तंभ सिद्ध हो सकता है।

बीज शब्द

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विधिक प्रक्रिया, न्यायपालिका, अपराध जाँच, कानूनी शोध, तकनीकी नवाचार।

प्रस्तावना

मानव सभ्यता के विकास के साथसाथ न्याय की अवधार-णा भी निरंतर परिवर्तित होती रही है। प्राचीन समाज में न्याय व्यवस्था परंपरा और प्रथाओं पर आधारित थी, किंतु आधुनिक युग में

यह संविधान, विधि और न्यायालयों की प्रक्रिया के अंतर्गत संचालित होती है। न्याय का मूल उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और न्याय दिलाना है। परंतु वास्तविकता यह है कि भारतीय न्यायपालिका लंबे समय से मामलों के बोझ, जटिल प्रक्रियाओं और सीमित संसाधनों से जूझ रही है। लाखों मुकदमे वर्षों तक लंबित रहते हैं, जिससे नागरिकों का विश्वास न्यायिक प्रणाली पर कमजोर होता है।

ऐसे समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) न्यायिक प्रणाली के लिए आशा की नई किरण बनकर सामने आई है। एआई का अर्थ है मशीनों में मानव जैसी बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता का विकास। जब इसका प्रयोग विधिक क्षेत्र में किया जाता है, तो यह न केवल न्याय प्रक्रिया को त्वरित बनाता है, बल्कि पारदर्शिता और निष्पक्षता भी सुनिश्चित करता है। आज विश्व के अनेक विकसित देश एआई आधारित तकनीकों का प्रयोग न्यायपालिका में कर रहे हैं। भारत भी डिजिटल इंडिया के अभियान के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह शोध पत्र इस तथ्य की गहन पड़ताल करता है कि किस प्रकार एआई विधिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने में सहायक है। इसमें न केवल इसके लाभों और संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है, बल्कि इससे उत्पन्न चुनौतियों और नैतिक प्रश्नों पर भी चर्चा की गई है।

शोध समस्या

भारतीय न्यायपालिका विश्व की सबसे बड़ी न्याय प्रणालियों में से एक है, किंतु इसके सामने लंबित मामलों का भारी बोझ, समय की देरी, जटिल कानूनी प्रक्रियाएँ और संसाधनों की कमी जैसी समस्याएँ मौजूद हैं। न्याय पाने के लिए आम नागरिक को वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह स्थिति न्याय की उस अवधारणा को कमजोर करती है, जिसमें कहा गया है कि "विलंबित न्याय, अन्याय के समान है।" हालाँकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता इन समस्याओं के समाधान में उपयोगी सिद्ध हो सकती है, लेकिन इसके प्रयोग से संबंधित अनेक प्रश्न भी हैं। जैसे - क्या एआई पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है? क्या यह मानवीय संवेदनशीलता का विकल्प

बन सकता है? क्या इससे निजता और गोपनीयता भंग होने का खतरा नहीं है? क्या यह न्याय की निष्पक्षता को प्रभावित नहीं करेगा?

इस शोध पत्र की समस्या का मूल प्रश्न यह है कि -

"क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता वास्तव में विधिक प्रक्रिया को सुदृढ़ कर सकती है और यदि हाँ, तो किन सीमाओं और शर्तों के अंतर्गत?"

शोध उद्देश्य

इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस प्रकार विधिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने में सहायक है। इसके अंतर्गत निम्न उद्देश्य शामिल किए जा सकते हैं -

1. एआई की अवधारणा और विधिक क्षेत्र में इसके प्रयोग की जॉच पड़ताल करना।
2. वर्तमान न्याय प्रणाली की समस्याओं का विश्लेषण करना।
3. न्यायपालिका, अपराधों की जाँच और विधिक शिक्षा में एआई के योगदान का अध्ययन करना।
4. एआई के प्रयोग से उत्पन्न चुनौतियों और नैतिक प्रश्नों को समझना।
5. भारतीय परिप्रेक्ष्य में एआई के प्रयोग की संभावनाओं और सीमाओं पर विचार करना।
6. भविष्य की न्यायिक प्रणाली में एआई की भूमिका को स्पष्ट करना।

शोध विधि

यह शोध पत्र मुख्यतः वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक शोध विधि पर आधारित है। इसमें विषय से संबंधित विभिन्न पुस्तकों, शोध पत्रों, समाचार लेखों और उपलब्ध डिजिटल संसाधनों का अध्ययन किया गया है। द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त जानकारियों का समन्वय करते हुए एक सुसंगत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

शोध का दृष्टिकोण गुणात्मक (Qualitative) है, क्योंकि इसका उद्देश्य तथ्यों के परस्पर संबंध और उनके प्रभावों को समझना है। न्यायिक प्रणाली और एआई के बीच संबंध का मूल्यांकन केवल आँकड़ों के आधार पर नहीं किया जा सकता, इसके लिए नैतिकता, निष्पक्षता और सामाजिक प्रभाव जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

शोध विस्तार

कृत्रिम बुद्धिमत्ता वह तकनीक है, जिसके माध्यम से मशीनें मानव मस्तिष्क की तरह सोचने, निर्णय लेने और सीखने में सक्षम होती हैं। यह मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और बिग डेटा विश्लेषण पर आधारित है। एआई का उद्देश्य केवल कार्य करना ही नहीं, बल्कि अनुभव से सीखना और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना भी है। विधिक प्रक्रिया में इसका प्रयोग विशेष रूप से दस्तावेज़ों के अध्ययन, निर्णय समर्थन प्रणाली, केस ट्रैकिंग और न्यायिक डेटा प्रबंधन में किया जा रहा है।

दीवानी और आपराधिक मामलों में विधिक प्रक्रिया की प्रास्थिति

भारत की न्याय व्यवस्था दो प्रमुख आधारों पर चलती है - दीवानी (Civil) मामले और आपराधिक (Criminal) मामले। दोनों ही प्रकार के मामलों की विधिक प्रक्रिया भिन्न होती है, किंतु दोनों का मूल उद्देश्य न्याय प्रदान करना ही है। वर्तमान समय में इन प्रक्रियाओं की परिस्थिति को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि न्यायपालिका पर मुकदमों का बोझ, विलंब, तकनीकी जटिलताएँ और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियाँ लगातार बढ़ रही हैं।

दीवानी मामलों की प्रास्थिति

दीवानी मामले मुख्यतः व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच अधिकारों, संपत्ति, अनुबंध, विवाह, पारिवारिक विवाद, उत्तराधिकार, वाणिज्यिक लेनदेन आदि से संबंधित होते हैं। इन मामलों में - अपराध नहीं होता, बल्कि अधिकारों का हनन या विवाद मुख्य विषय होता है। आज की स्थिति यह है कि दीवानी मामलों की सुनवाई में अत्यधिक विलंब एक बड़ी समस्या है। उच्चतम न्यायालय से लेकर जिला न्यायालयों तक, करोड़ों दीवानी मुकदमे वर्षों से लंबित हैं। संपत्ति विवाद या पारिवारिक झगड़े वाली याचिकाएँ कई पीढ़ियों तक चलती रहती हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता (CPC) में सुधार किए गए हैं, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर अभी भी गवाहों की पेशी, दस्तावेज़ों की जाँच, अपीलों का लंबा सिलसिला और वकीलों की रणनीतियाँ मुकदमों को वर्षों तक खींचे रखती हैं।

इसके अलावा, वाणिज्यिक मामलों की बढ़ती संख्या और कॉरपोरेट विवादों ने भी दीवानी अदालतों पर दबाव बढ़ा दिया है। हालाँकि, मध्यस्थता (Arbitration), लोक अदालत और सुलह केंद्र जैसे विकल्प उभरे हैं, जो बोझ को कम करने में सहायक हो रहे हैं, लेकिन अभी यह पर्याप्त नहीं है।

आपराधिक मामलों की प्रास्थिति

आपराधिक मामले समाज और राज्य के विरुद्ध अपराधों से संबंधित होते हैं, जैसे हत्या, चोरी, बलात्कार, धोखाधड़ी, साइबर अपराध आदि। इन मामलों में प्रक्रिया अपेक्षाकृत कठोर और जटिल होती है, क्योंकि इसमें अपराधी को दंडित करना और समाज में व्यवस्था बनाए रखना मुख्य उद्देश्य होता है। वर्तमान परिस्थिति में आपराधिक मामलों में भी मुकदमों की लंबित संख्या बहुत बड़ी समस्या है। पुलिस की जाँच में देरी, गवाहों के मुकरने की प्रवृत्ति, सबूतों की सुरक्षित रख-रखाव में कमी और न्यायालयों में मामलों की अत्यधिक संख्या से आपराधिक न्याय प्रक्रिया प्रभावित होती है। कई बार पीड़ितों को वर्षों तक न्याय नहीं मिल पाता, और आरोपी या तो लंबी अवधि तक जेल में रहते हैं या जमानत पर छूट जाते हैं। इसके अतिरिक्त, साइबर अपराध, आतंकवाद, संगठित अपराध और महिला सुरक्षा से जुड़े नए-नए मामलों ने आपराधिक न्याय प्रणाली के सामने नई चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। पारंपरिक प्रक्रिया इन जटिल अपराधों को हल करने में धीमी पड़ जाती है।

समानताएँ और अंतर

दीवानी और आपराधिक दोनों ही प्रक्रियाओं में विलंब और मामलों का बोझ साझा समस्या है। दोनों क्षेत्रों में गवाहों की उपलब्धता, वकीलों की तकनीकी अड़चनें और अपील की लम्बी श्रृंखला मुकदमों के निपटारे में बाधक बनती हैं। अंतर यह है कि दीवानी मामलों में मुख्यतः मुआवज़ा, अधिकार या संपत्ति का समाधान होता है, जबकि आपराधिक मामलों में आरोपी को दंडित करना और समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिक उद्देश्य है।

वर्तमान परिस्थिति की समग्र तस्वीर

आज न्यायपालिका में दीवानी और आपराधिक दोनों ही प्रकार के मामलों की स्थिति ऐसी है कि लाखों लोग न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। "न्याय में देरी, न्याय से वंचित करने" के सिद्धांत के चलते आम जनता का भरोसा प्रभावित होता है। यही कारण है कि न्यायपालिका और सरकार दोनों लगातार सुधारों की ओर अग्रसर हैं, जैसे – फास्ट ट्रैक कोर्ट, ईकोर्ट-, लोक अदालत, मध्यस्थता और एआई का प्रयोग। (कृत्रिम बुद्धिमत्ता)

विधिक प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति

भारतीय न्याय प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्थाओं में से एक है। परंतु इसकी सबसे बड़ी समस्या लंबित मामलों की संख्या है। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर जिला स्तर तक लाखों मुकदमे वर्षों से लंबित हैं। न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया इतनी धीमी है कि आम नागरिक अक्सर निराश हो जाते हैं। एक ओर जहाँ अधिवक्ता और न्यायालय के कर्मचारी मामलों की फाइलों में उलझे रहते हैं, वहीं दूसरी ओर पीड़ित पक्ष वर्षों तक न्याय की प्रतीक्षा करता है।

इसके अतिरिक्त, विधिक प्रक्रिया की जटिलता, कानूनी भाषा की कठिनता और दस्तावेज़ों का बोझ भी नागरिकों के लिए न्याय तक पहुँच को कठिन बना देता है। न्यायालयों में सुनवाई की प्रक्रिया कई बार तकनीकी कारणों से टल जाती है, जिससे मामलों की लंबाई और भी बढ़ जाती है। इस स्थिति ने विधिक प्रणाली को इस हद तक बोझिल बना दिया है कि बिना तकनीकी सहयोग के सुधार की कल्पना भी कठिन है।

विधिक प्रक्रिया की वर्तमान चुनौतियाँ

भारतीय न्यायपालिका में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। एक मामले के निपटान में औसतन कई वर्ष लग जाते हैं। सीमित न्यायाधीश, तकनीकी संसाधनों की कमी और पारंपरिक प्रक्रियाओं की जटिलता न्यायिक देरी के मुख्य कारण हैं। आम नागरिक को न्याय पाने के लिए आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से भारी मूल्य चुकाना पड़ता है।

न्यायपालिका में एआई का प्रयोग

न्यायपालिका में एआई का प्रयोग कई स्तरों पर किया जा सकता है -

1. केस मैनेजमेंट सिस्टम: एआई आधारित सॉफ़्टवेयर मुकदमों को वर्गीकृत कर सकते हैं और उनकी प्रगति पर निगरानी रख सकते हैं।
2. निर्णय समर्थन प्रणाली: जज को पूर्व मामलों के आधार पर कानूनी व्याख्या और संभावित निर्णय की जानकारी मिल सकती है।
3. डिजिटल कोर्ट: वर्चुअल कोर्ट और ई-फाइलिंग प्रणाली में एआई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

अपराध जाँच और पुलिसिंग में एआई

अपराध की रोकथाम और जाँच में एआई ने विशेष योगदान दिया है। चेहरा पहचान तकनीक, डेटा एनालिटिक्स, सीसीटीवी निगरानी और साइबर अपराध की जाँच में एआई की भूमिका बढ़ रही है। पुलिस अपराध की प्रवृत्ति को पहचानने और अपराधियों का रिकॉर्ड ट्रैक करने में एआई का प्रयोग कर रही है।

विधिक शिक्षा और शोध में एआई

एआई ने विधिक शिक्षा को भी प्रभावित किया है। विधि के छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एआई आधारित टूल्स उपलब्ध हैं, जो विशाल कानूनी साहित्य का विश्लेषण कर सकते हैं। इससे शोध कार्य सरल और समयबद्ध हो जाता है।

एआई के लाभ

1. मुकदमों के त्वरित निपटान में सहायक।
2. पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा।
3. आम नागरिक को सुलभ न्याय।
4. कानूनी शोध और शिक्षा को सरल बनाना।
5. अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत करना।

चुनौतियाँ और सीमाएँ

हालाँकि एआई की उपयोगिता निर्विवाद है, किंतु इसके साथ कई चुनौतियाँ भी हैं -

1. निजता और गोपनीयता का उल्लंघन।
2. मानवीय संवेदनशीलता का अभाव।
3. तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता का खतरा।
4. गलत डेटा से गलत निर्णय का जोखिम।
5. नैतिक और संवैधानिक प्रश्न।

भारतीय परिप्रेक्ष्य

भारत में एआई आधारित "सुप्रीम कोर्ट पोर्टल", "एनजेडीजी (National Judicial Data Grid)" और "ई-कोर्ट्स परियोजना" न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हैं। भविष्य में एआई का प्रयोग और भी व्यापक होगा, लेकिन इसके साथ प्रशिक्षण, संसाधन और नैतिक दिशानिर्देशों की आवश्यकता है।

भविष्य की संभावनाएँ

एआई आने वाले समय में न्यायपालिका के लिए एक अनिवार्य उपकरण बन सकता है। यह न्यायाधीशों की सहायता करेगा, मुकदमों का बोझ घटाएगा और नागरिकों को त्वरित न्याय प्रदान करेगा। यदि इसे संवैधानिक मूल्यों और मानवाधिकारों के अनुरूप प्रयोग किया जाए तो यह न्यायिक व्यवस्था की आधारशिला बन सकता है।

विधिक प्रक्रिया पर सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय

भारत के संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र और सर्वोच्च स्थान दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय केवल संवैधानिक व्याख्या ही नहीं करता, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों, न्यायिक प्रक्रिया और विधिक व्यवस्थाओं की दिशा भी तय करता है। अनेक बार सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं जिन्होंने विधिक प्रक्रिया (Legal Procedure) की समझ और स्वरूप को ही बदल दिया।

1. ए.के. गोपालन बनाम राज्य मद्रास (1950)

यह निर्णय भारत की न्यायिक प्रक्रिया पर प्रारम्भिक बहसों का परिणाम था। मामला निवारक निरोध (Preventive Detention) से जुड़ा था। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का संरक्षण केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure established by law) तक सीमित है। उस समय न्यायालय ने "Due Process of Law" (अमेरिकी सिद्धांत) को अस्वीकार कर दिया। इस निर्णय से यह स्थापित हुआ कि यदि संसद कोई विधि बनाती है तो वही नागरिक की स्वतंत्रता का आधार होगा।

2. मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)

यह निर्णय भारतीय विधिक प्रक्रिया का मील का पत्थर है। मनका गांधी का पासपोर्ट सरकार ने जब्त कर लिया था। उन्होंने अनुच्छेद 21 के तहत इसे चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" मनमानी नहीं हो सकती, उसे न्यायसंगत, उचित और तर्कसंगत (Just, Fair and Reasonable) होना अनिवार्य है। इस निर्णय ने भारतीय न्याय प्रणाली में नैतिकता और न्यायपूर्ण प्रक्रिया (Due Process) की अवधारणा को स्थापित कर दिया।

3. हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979)

यह केस न्यायिक प्रक्रिया के क्षेत्र में ऐतिहासिक है। इसमें जेलों में बंद हजारों अंडरट्रायल कैदियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि शीघ्र सुनवाई (Speedy Trial) अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नागरिक का मौलिक अधिकार है। इस निर्णय के बाद न्यायपालिका ने लंबित मामलों और विचाराधीन कैदियों के लिए सुधारात्मक कदम उठाने शुरू किए।

4. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)

यह मुकदमा मुख्य रूप से संविधान संशोधन से जुड़ा था, लेकिन इसमें न्यायिक प्रक्रिया की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार संसद संविधान संशोधन कर सकती है, परंतु वह संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। इस निर्णय ने न्यायिक प्रक्रिया में संविधान को सर्वोच्च मानते हुए संसद की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया।

5. डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997)

यह मामला हिरासत में पुलिस द्वारा की गई यातना और मृत्यु से संबंधित था। सर्वोच्च न्यायालय ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए, जैसे - गिरफ्तारी के समय पहचान पत्र दिखाना, गिरफ्तारी मेमो बनाना, परिवार को सूचना देना, चिकित्सीय परीक्षण कराना आदि। यह निर्णय आपराधिक विधिक प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत ऐतिहासिक रहा।

6. विश्वाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)

यह मामला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़ा था। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 से संरक्षित है। इस निर्णय ने विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत लैंगिक न्याय और समानता को गहरा आधार दिया।

7. पीयूसीएल बनाम भारत संघ (1997) - टेलीफोन टैपिंग केस

यहाँ न्यायालय ने कहा कि टेलीफोन पर बातचीत भी व्यक्ति की गोपनीयता का हिस्सा है, और यह अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। इस प्रकार न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया में गोपनीयता के अधिकार की पुष्टि की।

8. जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017)

यह निर्णय भारतीय विधिक प्रक्रिया का आधुनिक दौर का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि गोपनीयता का अधिकार (Right to Privacy) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा है। इससे भारतीय नागरिकों को डिजिटल युग में नए अधिकार मिले।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त ऐतिहासिक निर्णयों ने विधिक प्रक्रिया को केवल तकनीकी नियमों तक सीमित न रखकर उसे न्यायसंगत, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप बनाया। चाहे वह अंडरट्रायल कैदियों का मुद्दा हो, हिरासत में अधिकारों की सुरक्षा, या नागरिकों का गोपनीयता का अधिकार - हर मामले ने न्यायिक प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील और लोकतांत्रिक बनाया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने न्यायपालिका और विधिक प्रक्रिया के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोले

हैं। यह न केवल लंबित मामलों को कम करने और मुकदमों का त्वरित निपटान करने में सहायक है, बल्कि न्यायिक पारदर्शिता और निष्पक्षता को भी बढ़ावा देता है। अपराध जाँच, विधिक शिक्षा और नागरिकों को न्याय तक पहुँचाने में इसका योगदान सराहनीय है। हालाँकि इसके साथ गोपनीयता, निष्पक्षता और नैतिकता से जुड़े प्रश्न भी उठते हैं। यदि इन चुनौतियों का समाधान किया जाए और एआई को मानवीय मूल्यों और विधिक सिद्धांतों के अनुरूप प्रयोग किया जाए, तो यह भविष्य की न्याय प्रणाली का मजबूत स्तंभ बन सकता है।

संदर्भ सूची

1. Frank H. Easterbrook, "Cyberspace and the Law of the Horse", Chi. Legal F. 207 (1996)
2. Ministry of Law and Justice, Government of India - eCourts Project Reports https://www.legalserviceindia.com, https://www.artificiallawyer.com
3. "ROSS Intelligence" द्वारा विकसित प्रीडिक्टिव एनालिटिक्स टूल
4. "NLP in Legal AI", भारतीय विधिक जर्नल, 2023
5. भारत सरकार, विधि मंत्रालयकोर्ट्स परियोजना रिपोर्ट-ई :
6. NALSA (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की (AI सहायता पहल
7. "AI और गोपनीयता", इंडियन लॉ रिव्यू, अंक 10
8. बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा विधि शिक्षा में AI विषय की शुरुआत
9. OECD की रिपोर्ट न्याय में :AI की नैतिक सीमाएँ
10. "AI और न्यायिक स्वायत्तता", जन विधि शोध पत्रिका, 2022
11. Pandey J. N., Constitution Law of India published in Allahabad Law Agency Motilal Nehru Road Prayagraj UP Page No 124 to 328.
12. Dr Lal Ratan, Dheeraj Lal Criminal Procedure code Lexis nexis publication
13. Takwani C. K. CPC published in Eastern book Company.